मातृभाषा में शिक्षा का संवैधानिक दावा: पदम मेहता निर्णय

शिक्षा, भाषा और संघीय शासन | समाचार संदर्भ: 12 मई 2026 | प्रकाशित: 17 अक्टूबर 2026

12 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट (न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ) ने राजस्थान सरकार को राजस्थानी भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने के लिए नीति बनाने का निर्देश दिया — RTE अधिनियम 2009 की धारा 29(2)(f) के उस प्रावधान को केंद्र में रखकर जो कहता है कि शिक्षा का माध्यम, यथासंभव, बच्चे की मातृभाषा हो।

खबरों में क्यों

पदम मेहता बनाम राजस्थान राज्य (2026 INSC 476) में याचिकाकर्ताओं ने राजस्थानी को परीक्षा-पाठ्यक्रम में शामिल करने और बच्चों को राजस्थानी भाषा में शिक्षा देने की माँग की थी। न्यायालय ने धारा 29(2)(f) का उल्लेख किया — शैक्षणिक प्राधिकरण पाठ्यक्रम बनाते समय यह ध्यान रखे कि शिक्षा का माध्यम यथासंभव बच्चे की मातृभाषा हो — और राज्य को नीति तैयार कर अनुपालन-शपथपत्र देने का निर्देश दिया। न्यायालय ने प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा की 'आधारभूत भूमिका' (foundational role) रेखांकित की।

धारा 29(2)(f) क्या कहती है?

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 पाठ्यक्रम और मूल्यांकन-प्रक्रिया के बारे में है। उपधारा (2)(f): शैक्षणिक प्राधिकरण पाठ्यक्रम तय करते समय यह विचार रखे कि 'शिक्षा का माध्यम, यथासंभव, बच्चे की मातृभाषा हो'। यह 'यथासंभव' (as far as practicable) शर्त वाला निर्देश है — पूर्ण बाध्यता नहीं, पर नीति-निर्माण में अनदेखा नहीं किया जा सकने वाला विधायी निर्देश। NEP 2020 भी प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय भाषा की सिफारिश करती है।

मुख्य तथ्य

मामला: पदम मेहता बनाम राजस्थान राज्य, सिविल अपील @ SLP(C) 1425/2025, 2026 INSC 476; पीठ: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ व न्यायमूर्ति संदीप मेहता; 12 मई 2026

माँग: राजस्थानी को परीक्षा-पाठ्यक्रम में समावेश और बच्चों को राजस्थानी में शिक्षा

कानूनी आधार: RTE अधिनियम 2009, धारा 29(2)(f) — माध्यम यथासंभव मातृभाषा; प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा की 'आधारभूत भूमिका'

निर्देश: राज्य राजस्थानी को शिक्षा-माध्यम बनाने की नीति बनाए; अनुपालन-शपथपत्र प्रस्तुत करे

भाषा-संदर्भ: राजस्थानी अनुसूचित भाषाओं (आठवीं अनुसूची) में शामिल नहीं — लंबित माँग; भाषा-माध्यम और भाषा-मान्यता दो अलग प्रश्न

तीन परतें — शिक्षाविज्ञान, भाषा-नीति, संघीय व्यावहारिकता

शिक्षाविज्ञान: प्रारंभिक कक्षाओं में मातृभाषा-माध्यम से अवधारणा-स्पष्टता और निपुणता (FLN) बेहतर होती है — अंतरराष्ट्रीय शोध और NEP 2020 की सिफारिश इसी दिशा में

भाषा-नीति: निर्णय 'माध्यम' की बात करता है, आठवीं अनुसूची-समावेश की नहीं — न्यायालय ने नीति-क्षेत्र (शिक्षा) में राज्य को दिशा दी, संविधान-संशोधन का मार्ग अलग है

संघीय व्यावहारिकता: माध्यम-परिवर्तन पाठ्यपुस्तक, शिक्षक-प्रशिक्षण और मूल्यांकन-परिवर्तन माँगता है — राज्य की क्षमता और संक्रमण-योजना ही निर्णायक

विश्लेषण और आगे की राह

तीन परतों में देखें। (1) न्यायिक विधि: न्यायालय ने धारा 29(2)(f) को 'अनूदान-पत्र' (mandate) मानते हुए नीति-निर्माण का निर्देश दिया — 'यथासंभव' की खुली शर्त बनाए रखी; यह न्यायिक निर्देशन और कार्यपालिका-विवेक का संतुलन है। (2) क्रियान्वयन-जटिलता: राजस्थानी की लिपि-मानकीकरण, पाठ्य-सामग्री और शिक्षक-तैयारी बहु-वर्षीय कार्य; नीति-घोषणा और कक्षा-क्रियान्वयन के बीच अंतर पर नज़र रखनी होगी — अनुपालन-शपथपत्र पहला परीक्षण। (3) व्यापक प्रेरणा: अन्य राज्यों में क्षेत्रीय भाषा-माध्यम की माँगों (और त्रि-भाषा-सूत्र बहस) पर इसका संदर्भ-प्रभाव पड़ेगा, पर यह निर्णय राजस्थान-विशिष्ट निर्देश है, राष्ट्रीय नीति-घोषणा नहीं। ध्यान रहे: यह विश्लेषण निर्णय-पाठ (2026 INSC 476, sci.gov.in) पर आधारित; अनुपालन-प्रगति राज्य/न्यायालय अभिलेख से प्रमाण मानें।

अवधारणा में अंतर

शिक्षा-माध्यम (medium of instruction) बनाम विषय-भाषा (subject) — निर्णय पहले की ओर। 'यथासंभव' निर्देश (धारा 29(2)(f)) बनाम पूर्ण-बाध्यता — पहला। और आठवीं अनुसूची-समावेश (भाषा-मान्यता, संसदीय प्रक्रिया) बनाम माध्यम-नीति (राज्य-कार्यपालिका) — इस मामले में दूसरा।

मेंस दृष्टि

GS-II: शिक्षा-नीति, भाषा-प्रश्न, न्यायिक-सक्रियता; GS-I: भाषाई विविधता। उत्तर में निर्णय-तथ्य (2026 INSC 476, पीठ, धारा 29(2)(f)), NEP-संदर्भ, क्रियान्वयन-चुनौती और 'यथासंभव' की सीमा रखें।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

'मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा अवधारणात्मक स्पष्टता की नींव है, पर इसका क्रियान्वयन राज्य-क्षमता की परीक्षा है।' पदम मेहता निर्णय (2026) के आलोक में विश्लेषण कीजिए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: पदम मेहता निर्णय और धारा 29(2)(f) के संदर्भ में मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा तथा राज्य की क्रियान्वयन-भूमिका रखें

मुख्य भाग में: तर्क: मातृभाषा-लाभ (FLN, NEP), न्यायिक निर्देशन का औचित्य; चुनौतियाँ: मानकीकरण, पाठ्य-सामग्री, शिक्षक, बहु-भाषी कक्षा; सीमा: 'यथासंभव', राज्य-विशिष्ट; मार्ग: चरणबद्ध क्रियान्वयन, अनुपालन-निगरानी

निष्कर्ष में: मातृभाषा-शिक्षा के न्यायिक निर्देश को शिक्षक, पाठ्य-सामग्री और चरणबद्ध क्रियान्वयन की राज्य-क्षमता से जोड़कर परखें

स्रोत

- भारत का सर्वोच्च न्यायालय — निर्णय-पाठ, 2026 INSC 476 (12 मई 2026)
- The Hindu — निर्णय-रिपोर्ट (13 मई 2026)

मुख्य तथ्य निर्णय-पाठ (sci.gov.in PDF) से शब्दशः सत्यापित।

याद रखें: पदम मेहता निर्णय मातृभाषा-शिक्षा को सुझाव से न्यायिक-निर्देश बनाता है — पर 'यथासंभव' की शर्त इसका प्रमाण राज्य की नीति और कक्षा तक की दूरी में ही जाँचेगी।